सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान की स्कीम

उद्देश्य

"सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान" के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) एक संयुक्त समूह अथवा विशिष्ट संवर्गों के रूप में विनिर्माण और सेवाओं में संलग्न (चाहे अति लघु/लघु उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग कयर की श्रेणी में हों) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं के संबंध में प्राथमिक, द्वितीयक या अन्य स्त्रोतों से नियमित/आवधिक आधार पर संगत और विश्वसनीय आंकड़ा एकत्र करना।

(ii) अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में सूलमउ द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और उपलब्ध अवसरों के बारे में अनुभाविक आंकड़ों के आधार पर अथवा अन्यथा अध्ययन और विशलेषण करना।

(iii) नीति अनुसंधान के लिए इन सर्वेक्षणों और विशलेषण अध्ययनों के परिणामों का उपयोग करना तथा इनके द्वारा सतत रोजगार के सृजन को विस्तार देने तथा उनकी कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से इन उद्यमों को चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करने तथा सक्षम बनाने के लिए स्वयं के द्वारा अथवा निजी सार्वजनिक भागीदारी मोड में सरकार के द्वारा उपयुक्त रणनीति तथा हस्तक्षेप के उपाय तैयार करना।

2. कार्यक्षेत्र

इस स्कीम के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित लाभ के क्षेत्र शामिल (लेकिन सीमित नहीं) हैं :

(i) (क) शीघ्र प्रवेश और आसान निकास (ख) कार्यात्मक सुगमता तथा कार्य पूरा करने की आवागमन लागत में कमी (ग) विनियामक प्रक्रियाओं और प्रविधियों, आदि का सरलीकरण और सहयोजन, आदि उद्देश्यों के साथ सतत उद्यमों के संविधिक और अन्य रूप में विनियमन तथा सूलमउ के किसी भाग द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए उत्पाद के वर्गीकरण आरक्षण/अनारक्षण के लिए उद्यमों के वर्गीकरण, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मानदंडों के लिए मानदंड जैसे क्षेत्रवार मुद्दे।

(ii) संबंधित नीतियों आदि के उद्देश्य के संदर्भ में सूलमउ के लक्षित भागों को सहायता की वर्तमान नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के प्रभाव का तत्कालीन/आवधिक मूल्यांकन/आकलन।

(iii) वैश्विक संदर्भ में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दृष्टि से तथा संपूर्ण सूलमउ या उसके विशिष्ट भाग के संदर्भ में ऋण प्रवाह, रुग्णता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना सहायता, विपणन (निर्यात सहित), उद्यम प्रबंधन पद्धतियां, बौद्धिक सम्पदा अधिकार आदि जैसे मुद्दे।

(iv) उद्यमों/उद्यमों के संघों के क्षमता निर्माण और उनके सशक्तिकरण के उपाय, जिनमें सूक्ष्म उद्यमों और महिलाओं और/अथवा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा संचालित उद्यमों पर विशेष जोर दिया जाए तथा देश के कम विकसित क्षेत्रों/राज्यों में उद्यमों के संवर्धन विकास के उपाय।

(v) उद्यमिता विकास और प्रथम पीढी का उद्यमिता विकास और समस्याएं।

(vi) सेवाएं प्रदान करने में सरकार की मौजूदा संस्थाओं की भूमिका और क्षमता, जिन कार्यों के लिए उन संस्थाओं को अधिदेश प्राप्त है तथा उनके मानव संसाधन और कार्यात्मक पद्धतियों में सुधार के लिए उपाय।

(vii) लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय (वर्तमान में दोनों को सम्मिलित करके सूलमउ मंत्रालय) के कार्यक्षेत्र में कोई अन्य मुद्दा।

3. कार्यात्मक व्यवस्थाएं

(i) स्कीम का संचालन सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय (वर्तमान में सूलमउ मंत्रालय) द्वारा संचालित संचालन समिति द्वारा देखा जाएगा। संचालन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.	अपर सचिव और विकास आयुक्त, लघु उद्योग	-	सदस्य
2.	संयुक्त सचिव (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग)	-	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (लघु उद्योग)	-	सदस्य सचिव
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी	-	सदस्य
5.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी	-	सदस्य
6.	सचिव, कयर बोर्ड	-	सदस्य
7.	दो बाह्य विशेषज्ञ (लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा नामांकित)	-	सदस्य

(ii) संचालन समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में (प्राथमिकता स्तर पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के अंत से पूर्व), आगामी वर्ष के दौरान सम्पादित/ सौंपे गए सर्वेक्षण अध्ययनों, आदि के विषयों में निर्णय लेगी जो कि मंत्रालयों और उसके संगठनों के सामने प्रमुख क्षेत्रों और महत्वपूर्ण मुद्दों के अनुरूप होगा। समिति, जहां तक व्यवहारिक हो, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों/ अकादमिकों/अनुसंधान/व्यावसायिक संगठनों/संस्थाओं (जिसे आगे संस्था कहा जाएगा) और सूलमउ के सघों/परिसंघो के पैनलों को चिह्नित करेगी, जिसे प्रस्तावित सर्वेक्षण, अध्ययन, आदि संपादित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं का एक उपयुक्त डाटाबेस बनाया जाएगा, जो कि दो मंत्रालयों और इसके संगठनों और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होगा।

(iii) संगठन के प्रमुख या संबंधित संयुक्त सचिव स्वयं के द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण/अध्ययन के लिए सेवाशर्तों का मसौदा तैयार करेंगे तथा, सचिव के द्वारा अनुमोदन के उपरांत, संयुक्त सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजेंगे जो कि इस स्कीम के लिए समन्वयक संयुक्त सचिव होंगें।

(iv) संयुक्त सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय निर्धारित समय-सीमा में, आरपीएफ के साथ भेजे जाने वाले मानक प्रस्तावित फॉर्म में, कार्य के लिए विस्तृत प्रस्ताव सौंपने के लिए पैनल में चयनित संस्थाओं (जैसे, ऐसे करीब दो या तीन संस्था) को ''प्रस्ताव हेतु अनुरोध'' के साथ जाने वाले ''निमंत्रण पत्र'' द्वारा आमंत्रित करेगा।

(v) एक संवीक्षा समिति, जिसकी अध्यक्षता समन्वय करने वाले संयुक्त सचिव करेंगे और जिसमें संबंधित दोनों मंत्रालयों के निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारी तथा एकीकृत वित्त स्कंध तथा प्रस्ताव से संबंधित संगठन के समान प्रतिनिधि शामिल होंगे जो कि सेवा शर्तों और वित्तीय मानदंडों/मानकों के संदर्भ में प्रत्येक प्रस्ताव की जांच करेंगे तथा संचालन समिति की स्वीकृति पर अपनी सिफारिशें देंगे। यदि आवश्यक हो, आमंत्रित संस्था से संवीक्षा समिति द्वारा इस उद्देश्य से उपयुक्त स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

(vi) संचालन समिति, संस्था को उपलब्ध सामर्थ्य, तकनीकी विशेषज्ञता तथा संस्था द्वारा प्रस्तावित वित्तीय निविदा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। किसी एक संस्था को एक से अधिक अध्ययन सौंपने में कोई सीमा नहीं होगी। संचालन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

4. भुगतान की शर्तें

इन स्कीम के तहत प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान की शर्त निम्नानुसार होंगीः

(i) प्रथम किस्त : समझौते पर हस्ताक्षर करने पर शुल्क का 40 प्रतिशत।

(ii) द्वितीय किस्त : 35 प्रतिशत, जो कि (क) समझौते में तय समय सीमा के अंतर्गत (कार्यकारी सारांश समेत मसौदा रिपोर्ट की 5 प्रतियॉं) मसौदा रिपोर्ट को जमा किया जाना और (ख) नई दिल्ली में संचालन समिति के समक्ष रखे जाने के लिए मसौदा रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण तथा सामान्य रूप से स्वीकार्य पाई जाने वाली मसौदा रिपोर्ट।

(iii) तीसरी और अन्तिम किस्त : अन्तिम रिपोर्ट जमा किए जाने पर तथा सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति पर शेष 25 प्रतिशत। मंत्रालय द्वारा उपयुक्त अनुमोदन के बिना रिपोर्ट सौंपे जाने में विलम्ब होने पर प्रति सप्ताह 5 % का अर्थ दंड लगेगा तथा शेष 25 % तय दिनांक से पांच सप्ताह से आगे रिपोर्ट जमा करने में विलम्ब होने पर अर्थदंड के रूप में जमा किया जाएगा। अंतिम भुगतान रिपोर्ट की स्वीकृति तथा एजेंसी द्वारा बिलों आदि को जमा करने के 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा।

5. अन्य सामान्य शर्तें और स्थिति

इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए लागू अन्य सेवा शर्तें निम्न होंगी :

(i) यह कार्य समझौता में तयशुदा समय के भीतर पूरा किया जाएगा। तयशुदा समय से आगे रिपोर्ट को जमा करने में विलम्ब से समझौता में दी गई शर्तों के अनुसार अर्थदंड लगेगा। कार्य सौंपे जाने वाली संस्था के नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए संस्था के अनुरोध पर समय में उपयुक्त विस्तार दिया जा सकता है।

(ii) समझौता में तय समय सीमा से आगे कार्य की लागत में किसी बढ़ोतरी के लिए सरकार कोई अतिरिक्त राशि नहीं देगी।

(iii) संगठन द्वारा दी गई सहमति के अनुसार अध्ययन के कुल शुल्क में सेवा शुल्क, और यदि कोई दूसरा शुल्क हो तो वह शामिल होगा, तथा कर के भुगतान की देनदारी अध्ययन सम्पादित करने वाली संस्था की होगी।

(iv) अंतिम रिपोर्ट की 10 हार्ड प्रतियां, कार्यकारी सारांश की 15 हार्ड प्रतियां तथा अंतिम रिपोर्ट की 50 सी.डी. भुगतान की अंतिम किस्त जारी करने से पूर्व जमा की जाएगी।

(v) सौंपी गई करेंसी के दौरान, सरकार सेवा शर्तों तथा अन्य स्थितियों को यदि आवश्यक समझे तो संशोधित कर सकती है ताकि कार्यक्षेत्र/ कवरेज को मजबूती/ गहराई प्रदान की जा सके। जहां तक संभव हो, इस प्रकार के संशोधन अध्ययन की करेंसी के दौरान एक बार से अधिक तथा संबंधित संस्था की सहमति से नहीं किए जाएंगे। यदि, सेवा शर्तों में पर्याप्त और प्रमुख परिवर्तनों के कारण लागत में बढ़ोतरी होती है तो इस प्रकार की लागत की बढ़ोतरी मूल लागत के ऊपर अधिकतम 25% के अन्तर्गत होगी बशर्ते कि एकीकृत वित्त स्कंध से अनुमोदन प्राप्त हो।

(vi) मसौदा/अंतिम रिपोर्ट और उसकी विषय-वस्तु सरकार की बौद्धिक सम्पदा होगी तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित संस्था द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(vii) अध्ययन की करेंसी के दौरान परामर्शदाता/टीम लीडर में परिवर्तन होने की स्थिति में नए परामर्शदाता/टीम लीडर को मंत्रालय से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर संस्था नियुक्त किया जा सकता है।

(viii) परामर्शदाता सरकार को परिस्थिति या शेहर होल्डिंग में अथवा परामर्शदाता के किसी गारेंटर में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में सरकार को अधिसूचित करेगा, जबकि इस प्रकार का परिवर्तन सहमति के अंतर्गत परामर्शदाता की कार्य अपेक्षाओं पर प्रभाव डालेगा।

(ix) यदि अध्ययन की करेंसी के दौरान संस्था का निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो समझौते को समाप्त किया जा सकता है तथा संस्था को पहले भुगतान की गई राशि को वापस कर लिया जाएगा।

(x) मूल आंकड़ा/प्रोसेस्ड आंकड़ा/निष्कर्ष संस्था द्वारा सरकार के पूवानुमोदन के बिना किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिखाया जाएगा।

6. <u>टी ओ आर, आर एफ पी और समझौते के फॉर्म</u>

एल ओ आई, टी ओ आर तथा समझौते के मानक फॉर्मों की प्रतियां क्रमशः अनुबंध-I में अनुबंध-II और अनुबंध-III में दी गई हैं।

अनुबंध-I

लघु उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

संख्याः
दिनांक

सेवा में,

[संस्थान/परामर्शदाता का नाम और पता]

विषय : सर्वेक्षण,अध्ययन और अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत कार्य हेतु निमंत्रण पत्र

महोदय/महोदया

हम शीर्षक “ ....” के तहत कार्य के प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं। कार्य के और अधिक ब्यौरे सेवा शर्तों में दिए गए हैं।

2. निमंत्रण पत्र निम्नलिखित शॉर्ट लिस्टेड संस्थाओं/ परामर्शदाताओं को सम्बोधित किए गए हैं। :

[शार्ट लिस्टेड परामर्शदाता की सूची लगाएं]

यह निमंत्रण किसी अन्य संस्था को हस्तान्तरित करना मान्य नहीं है।

3. निमंत्रण पत्र के साथ, निम्नलिखित कागजात लगाया जाएगा :

(i) कार्य की सेवा शर्त
(ii) प्रस्ताव में शामिल प्रमाण पत्रों के मानक फॉर्म (अनुबंध-क, अनुबंध-ख और अनुबंध-ग) के प्रमाण पत्र शामिल
(iii) समझौते के मानक फॉर्म
(iv) सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान की स्कीम की प्रति

4. इस कार्य को सम्पादित करने के लिए आपका प्रस्ताव प्राप्त करना हमारे लिए हर्ष की बात होगी। प्रस्तावों का मूल्यांकन संचालन समिति द्वारा किया जाएगा जिसका संदर्भ स्कीम कागजात के अनुच्छेद 3(v) में दिया गया है तथा, अनुमोदन प्राप्त होने पर निर्णय के बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा।

5. आपका प्रस्ताव सील कवर में प्रेषित किया जाएगा ताकि यह अधोहस्ताक्षरी तक ....(तिथि) पहुंच जाए।

धन्यवाद और आपके उत्तर की प्रतीक्षा में,

गोपनीय

( )
[पदनाम :]

अनुबंध-II

सेवा शर्त

1. पृष्ठभूमि

2. कार्य का उद्देश्य

3. कार्य का कार्यक्षेत्र

4. रिपोर्ट और समय सीमा

5. सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़े यदि कोई हों :

अनुबंध क

परामर्शदाता का संगठन और अनुभव

क- परामर्शदाता का संगठन

{इस सौंपे गए कार्य के लिए आपकी संस्था एवं प्रत्येक सहयोगी, यदि कोई हो, की पृष्ठभूमि और संगठन का संक्षिप्त विवरण (दो पृष्ठों से अधिक नहीं) उपलब्ध कराएँ।}

ख- परामर्शदाता का अनुभव

{नीचे दिए गए प्रारूप का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक सौंपे गए कार्य की जानकारी उपलब्ध कराएँ जिसके लिए आपकी संस्था, और इस सौंपे गए कार्य के लिए प्रत्येक सहयोगी को इस सौंपे गए कार्य के अधीन किए गए अनुरोध के समान परामर्शदात्री सेवाएँ देने के लिए संविदाबद्ध किया गया था।}

कार्य का नाम	संविदा का अनुमानित मूल्य (रुपए में)
देश : देश के अंदर स्थिति :	कार्य की अवधि (माह) :
क्लाइंट का नाम :	
पता :	
शुरु होने की तारीख (माह/वर्ष) : समाप्त होने की तारीख (माह/वर्ष) :	
सहयोगी परामर्शदाताओं का नाम, यदि कोई हो :	आपकी फर्म के लगे हुए वरिष्ठ व्यावसायिक स्टॉफ का नाम एवं निष्पादित कार्य (अति महत्वपूर्ण प्रोफाइल दर्शाएँ, जैसे परियोजना निदेशक/समन्वयक, टीम लीडर):
परियोजना का वर्णनात्मक विवरण :	
सौंपे गए कार्य के अंदर आपके स्टॉफ द्वारा उपलब्ध कराई गई वास्तविक सेवाओं का विवरण :	

फर्म का
नाम ....

अनुबंध ख

1. टीम का सामान्य ब्यौरा

क्र.सं.	टीम लीडर एवं स्टॉफ का नाम	स्थिति	इनपुट (स्टॉफ-माह)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

टिप्पणी : टीम सदस्यों की 'सीवी' **अनुबंध ख-1** में दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना है।

<u>**अनुबंध ख-1**</u>

<u>सौंपे गए कार्य के लिए प्रस्तावित व्यावसायिक स्टॉफ का जीवन वृत्त</u>

1. **प्रस्तावित स्थिति** {प्रत्येक स्थिति के लिए केवल एक अभ्यर्थी को नामांकित किया जाएगा}:-......

   ....

2. **संस्था का नाम** {स्टॉफ प्रस्तावित करने वाली संस्था का नाम}:-..................................

   ....

3. **स्टॉफ का नाम** {पूरा नाम लिखें}:-...

4. **जन्म की तारीख :**..................................**राष्ट्रीयता**....................................

5. **शिक्षा :**{स्टॉफ सदस्य का महाविद्यालय/विश्वविद्यालय एवं अन्य विशिष्ट शिक्षा दर्शाएँ, संस्था, प्राप्त डिग्री के नाम एवं प्राप्ति की तारीख बताएँ}:-...

   ....

6. **व्यावसायिक संघों की सदस्यता :** ....

   ....

7. **प्रकाशन** {पुस्तकों, अनुसंधान पत्रों एवं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित अन्य लेखों को दर्शाएँ}:-.

   ....

8. **अन्य प्रशिक्षण :** { बिंदु सं. 5 में -प्राप्त शिक्षा के अंतर्गत डिग्री से महत्वपूर्ण प्रशिक्षण को दर्शाएँ}:-

   ....

9. **कार्य अनुभव के देश :** {उन देशों की सूची जहॉं स्टॉफ ने पिछले दस वर्षों में कार्य किया है}:-

   ....

10. रोजगार अभिलेख : {वर्तमान स्थिति से शुरु करते हुए, प्रत्येक रोजगार के लिए स्टॉफ सदस्यों द्वारा स्नातक से धारित प्रत्येक रोजगार की सूची, रोजगार की तारीख, नियोक्ता संगठन का नाम, धारित स्थिति (निम्न प्रारूप देखें)}:-

........................(वर्ष) से ....(वर्ष) तक

नियोक्ता ....

धारित स्थिति ....

11. सौंपे गए विस्तृत कार्य

{इस कार्य के अधीन निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची}:-........................

....

12. किया गया ऐसा कार्य जो सौंपे कार्यों के प्रबंधन की क्षमता को बखूबी वर्णित करता है

{सौंपे गए कार्यों के मध्य जिनमें स्टॉफ संलग्न रहा, ऐसे सौंपे गए कार्यों, जो बिंदु सं. 10 के अधीन सूचीबद्ध कार्यों के प्रबंधन में स्टॉफ की क्षमता को बखूबी वर्णित करते हैं, के लिए निम्न जानकारी दें}:-

सौंपे गए कार्य अथवा परियोजना का नाम ....

वर्ष...

स्थिति..

क्लाइंट..

प्रमुख परियोजना विशेषताएँ................................

धारित स्थिति..

निष्पादित कार्यकलाप...

13. प्रमाणन :

मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूँ कि, मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार यह जीवनवृत्त स्वयं सही-सही, मेरी योग्यताओं, और मेरे अनुभव को वर्णित करता है। मैं यह समझता हूँ कि यहाँ जानबूझकर दिया गया कोई भी गलत विवरण, मेरी अयोग्यता अथवा बर्खास्तगी कर सकता है, यदि लगाया गया।

.... तारीख................................

{स्टॉफ सदस्य अथवा स्टॉफ के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर}
दिन/माह/वर्ष

प्राधिकृत प्रतिनिधि का पूरा नामः..

परामर्शदाता का वित्तीय प्रस्ताव

(क)	अध्ययन/सर्वे/अनुसंधान पत्र की लागत (टी ओ आर के अनुसार टीम और स्टॉफ इनपुट एवं सभी आवश्यक कार्यकलापों पर आधारित)	:	रुपए
(ख)	सेवा कर	:	रुपए
(ग)	कुल लागत (क+ख)	:	रुपए

टिप्पणी :

ऊपरी व्यय, उपकरण, आवास, प्रारंभिक और/अथवा द्वितीयक तारीख की प्राप्ति, आवश्यक यात्रा (यदि कोई हो), आदि के लिए कोई अलग भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

अनुबंध-III

सर्वेक्षण, अध्ययन और अनुसंधान परियोजनाओं हेतु परामर्श सेवाओं हेतु समझौता

समझौता

यह समझौता सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (सरकार) जिनके कार्य का प्रमुख स्थान (ग्राहक का पता दें) के माध्यम से कार्य कर कर रहे राष्ट्रपति और (परामर्शदाता का नाम दें) (परामर्शदाता) जिनका प्रधान कार्यालय (परामर्शदाता का पता दें) में स्थित है जो -------------के माध्यम से कार्य कर रहे हैं के बीच [कार्य आरंभ की तारीख दें] को हुआ है।

जबकि, सरकार परामर्शदाता से इसके बाद सौंपे कार्य के निष्पादन की इच्दा रखती है, और

और जबकि, परामर्शदाता सौंपे कार्य के निष्पादन की इच्छा रखता है,

अब, इसलिए, संबंधित पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं :

(i) सेवाएं (i) परामर्शदाता अनुबंध क, ‘‘ विचारार्थ विषय और सौंपे कार्य क्षेत्र’’ में विनिर्दिष्ट सौंपे कार्य का निष्पादन करेगा, जो कि समझौते (कार्य) का एकीकृत भाग है।

(ii) परामर्शदाता सौंपे कार्य के निष्पादन हेतु अनुबंध ख में सूचीबद्ध कार्मिक ‘‘परामर्शदाता के कार्मिक’’ उपलब्ध कराएंगे।

(iii) परामर्शदाता अनुबंध ग में विनिर्दिष्ट कार्य और संख्या तथा समयावधि में ‘‘परामर्शदाता के रिपोर्टिंग दायित्व के साथ सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2. अवधि — परामर्शदाता इस समझौते की तारीख से --------माह में कार्य निष्पादन करेगा अथवा,अन्य किसी अवधि में जैसा आरोप्य विलम्ब के लिए परिसमाप्त क्षतियों के अध्यधीन, पक्षों द्वारा तदुपरांत लिखित में सहमति हो।

3. भुगतान — क. सीमा

कार्य सौंपने के लिए, सरकार परामर्शदाता को [राशि दें] का भुगतान करेगी। इस राशि में परामर्शदाता की सभी लागत तथा परिदान तथा कोई कर संबंधी दायित्व जो कि परामर्शदाता पर लगाए जा सकते हैं, शामिल हैं।

ख. भुगतानों की अनुसूची

भुगतान अनुसूची नीचे विनिर्दिष्ट हैं:

[मुद्रा और राशि दें] परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते की एक प्रति सरकार की प्राप्ति पर;

[मुद्रा और राशि दें]

सरकार द्वारा परामर्शदाता से मसौदा रिपोर्ट की प्राप्ति तथा सरकार द्वारा स्वीकृति होने पर; तथा

[मुद्रा और राशि दें]

सरकार द्वारा परामर्शदाता की अंतिम रिपोर्ट की प्राप्ति तथा सरकार द्वारा स्वीकृति होने पर

[मुद्रा और राशि दें] कुल

ग. भुगतान शर्तें

(i) इस समझौते के हस्ताक्षर पर भुगतान सरकार के पक्ष में अनुसूचित बैंक की ओर से समान राशि की बैंक गारंटी के लिए __________ परामर्शदाता से मसौदा रिपोर्ट की प्राप्ति और सरकार की स्वीकृति तक होगा।

(ii) अंतिम भुगतान जो कि पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट समन्वयक को दो प्रतियों में पूर्ण बीजक के साथ परामर्शदाता द्वारा जमा करने के बाद 6 सप्ताह से आगे नहीं अथवा सरकार द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति होने, इनमें से जो भी बाद में हो, को किया जाएगा।

4. परियोजना प्रशासन क. समन्वयक

सरकार, इस कार्य के लिए, सरकार के समन्वयक के रूप में श्री/श्रीमती [नाम और पदनाम दें] को निर्दिष्ट करती है। समन्वयक सरकार द्वारा रिपोर्टों तथा अन्य परिदान की स्वीकृति तथा अनुमोदन तथा भुगतान हेतु बीजकों के अनुमोदन के लिए इस समझौते के अंतर्गत गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेवार होगा।

ख. रिपोर्ट

स्कीम के दिशानिर्देशों के पैरा 4 और 5 में सूचीबद्ध रिपोर्टें कार्य अवधि में जमा की जाएगी, तथा पैराग्राफ 3 के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतानों के लिए आधार का निर्माण करेगा।

5.	कार्य निष्पादन मानक	परामर्शदाता उच्च स्तर की व्यावसायिकों और नैतिक योग्यता तथा ईमानदारी के साथ कार्य के निष्पादन की प्रतिज्ञा लेते हैं। परामर्शदाता इस समझौते के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी कर्मचारी को सरकार द्वारा असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में शीघ्र, परन्तु _______दिनों से कम में नहीं , हटा देगा।
6.	गोपनीयता	परामर्शदाता सेवाओं, इस समझौता अथवा सरकार के कार्यव्यापार अथवा कार्यों के बारे में, सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी गोनपीय सूचना को प्रकट नहीं करेगा।
7.	सामग्री का स्वामित्व	समझौते के अंतर्गत, सरकार के लिए परामर्शदाता द्वारा तैयार कोई भी अध्ययन, रिपोर्ट या अन्य सामग्री, ग्राफिक, सॉफ्टवेयर अथवा अन्य, सरकार की है तथा सरकार की सम्पति रहेगी। परामर्शदाता इस समझाैते के उद्देश्य से ऐसे कागजात और सॉफ्टवेयर की एक प्रति अपने पास रख सकता है।
8.	बीमा	परामर्शदाता कोई उपयुक्त बीमा कवरेज अपनी लागत पर लेने के लिए जवाबदेह होगा।
9.	पुन कार्य	परामर्शदाता सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना इस समझौते को अथवा उप संविदा किसी भाग को पुनः नहीं सौंपेगा।
10.	विवाद निपटारा	संधि से होने वाले किसी विवाद, जिसे पक्षों के बीच सौहार्दपूर्वक नहीं निपटाया जा सके, को सचिव, विधायी कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक मध्यस्थ को मध्यस्था के लिए [-------------- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार] भेजा जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है, लागू होंगे। इस मामले में दिल्ली के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा।
11.	चूक की स्थिति में	(i) अनुबंध ग में उल्लिखित अवधि के भीतर किसी रिपोर्ट को सौंपने में विलम्ब। बशर्ते कि अप्रत्याशित विलम्ब की जिम्मेवारी एकमात्र सरकार की ओर न जाती हो।

(ii) व्यावसायिक गुणवत्ता में कमी के लिए सरकार को अस्वीकार्य कोई रिपोर्ट।

(iii) इस समझौते के किसी शर्त का उल्लंघन।

12. चूक के परिणाम

(i) परामर्शदाता की ओर से चूक के किसी भी मामले में, सरकार इस समझौते तथा भुगतान किए गए धन की वापसी के दावे अथवा बैंक गारंटी को समाप्त कर सकती है तथा अधिक भुगतान करने से इनकार कर सकती है।

(ii) यदि चूक मात्र पांच सप्ताह से अनधिक विलम्ब के रूप में सीमित हो, तो सरकार, वैकल्पिक रूप से, विलम्ब के प्रति सप्ताह के लिए समझौते की राशि के 5% की दर से सहमति प्राप्त परिसमाप्त क्षति का दावा कर सकती है, जो किसी भी स्थिति में समझौते की राशि के 25% से अधिक न हो। परिसमाप्त क्षतियों की रशि परामर्शदाता को किए जाने वाले भुगतान में से रोकी जाएगी/वसूल की जाएगी।

13. अप्रत्याशित विलम्ब

संबंधित पक्ष किसी अप्रत्याशित विलम्ब की स्थिति के कारण समझौते के निष्पादन करने में अक्षम रहने की सीमा तक अपने संबंधित कर्तव्यों के निष्पादन के मामले में क्षमा मांगने के लिए पात्र होंगे। इस आधार पर छूट का दावा करने वाला कोई पक्ष अप्रत्याशित विलम्ब के बारे में तुरंत दूसरे पक्ष को सूचना देगा जिसमें वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन पर संभवित प्रभाव की पद्धति और अवधि के बारे में जाहिर करेगा।

समझौता के उद्देश्य से अप्रत्याशित विलम्ब का अर्थ ईश्वर के कार्य, युद्ध अथवा भारत को प्रभावित करने वाले नागरिक, उपद्रव या आम हड़ताल अथवा (इसके स्वयं के कर्मचारियों को छोड़कार) जो कि संबंधित पक्ष जैसे गतिरोध हों जो कि कारण सम्मत रूप से प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से बाहर हो।

14. नोटिस — सभी प्रकार के पत्राचार के लिए संबंधित पक्षों का पता है :

सरकार :

परामर्शदाता :

पूर्व भुगतान किए गए पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या डिलिवरी को सुनिश्चित करने के साथ भेजा गया फैक्स या ई-मेल से उक्त पते पर भेजे गए सभी नोटिस भेज दिए गए तथा पता वाले द्वारा पते पर पहुंचने/प्राप्त करने के समय पर प्राप्त किए गए माने जाएंगे।

पते में किसी प्रकार का परिवर्तन तब तक बैध नहीं होगा जब तके उसे दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृत न मान लिया जाए।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से (सरकार)	परामर्शदाता के लिए
हस्ताक्षर ____________________	हस्ताक्षर ____________________
पदनाम ____________________	पदनाम ____________________
उपस्थिति में ____________________	उपस्थिति में ____________________

सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान स्कीम

दिनांक 26.08.2010 की स्थिति के अनुसार एजेंसियों की सूची

प्रबंधन संस्थान

1.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
2.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलुरू
3.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड, कालीकट
5.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर
6.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
7.	भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआरएमए)
8.	प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुडगांव
9.	वित्तीय प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, (आईएफएमआर), चैन्नई
10.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद
11.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे
12.	टाटा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, पुणे
13.	एक्सलरी प्रबंधन स्कूल, जमशेदपुर

	आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान
1.	इंदिरा गांधी अनुसंधान और विकास संस्थान, मुम्बई
2.	आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, बैंगलुरू
3.	गोखले आर्थिक और राजनीतिक संस्थान, पुणे
4.	इंदिरा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
5.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई
6.	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर), दिल्ली
7.	भारतीय आर्थिक मानीट्रिंग केन्द्र (सीएमआईई), मुंबई
8.	अनुप्रयुक्त जन शक्ति और अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर), दिल्ली
9.	आर्थिक वृद्धि संस्थान (आईईजी), दिल्ली विश्वविद्यालय
10.	बैकुंठभाई मेहता विकेन्द्रीकृत उद्योग अनुसंधान केन्द्र, मुंबई
11.	राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
12.	अध्ययन विकास संस्थान, तिरूवनंतपुरम
13.	मद्रास अध्ययन विकास संस्थान, चैन्नई
14.	केन्द्रीय अध्ययन विकास संस्थान, त्रिवेन्द्रम

	प्रौद्योगिकी संस्थान
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), नई दिल्ली
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खडकपुर
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), चैन्नई
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रूड़की
8.	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , कानपुर

	विज्ञान/अनुसंधान और विकास संस्थान
1.	विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), नई दिल्ली (सीएसआईआर के अधीन अनुसंधान संस्थाओं की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है)
2.	टाटा उर्जा अनुसंधान संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली
3.	एम.एस. स्वामीनाथ फाउंडडेशन, चैन्नई
4.	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसीआई), नई दिल्ली
5.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी),
6.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू
7.	भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून
8.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल
9.	भारतीय प्लाईवुड औद्योगिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलुरू
10	भारतीय जैव-संसाधन और सतत विकास संस्थान(आईबीएसडी), इम्फाल
11	जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
12	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
13	नेशनल सेन्टर फॉर प्लांट जैनोन रिर्सच (एनसीपीजीआर), नई दिल्ली
14	बोस संस्थान, कोलकाता
15	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
16	दक्षिण भारतीय वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयम्बटूर
17	केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बैगलुरू
18	भारतीय पैकेज संस्थान, मुम्बई
19	केन्द्रीय लुगदी और पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर
20	प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्वानुमान मूल्यांकन केन्द्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
21	बॉयोटैक कनर्शर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल), नई दिल्ली

	प्रशिक्षण संस्थान
1	उद्यमिता विकास संस्थान(ईडीआई), अहमदाबाद
2	राष्ट्रीय सूलमउ संस्थान, हैदराबाद
3	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा
4	भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी
5	भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली
6	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली
7	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बैगलुरू
8	बौद्धिक सम्पदा प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर
9	भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान, जयपुर
10	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई
11	प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद
12	राष्ट्रीय उत्पादन परिषद, नई दिल्ली
13	केन्द्रीय स्टाफ अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
14	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
15	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद

	परामर्शी फर्म
1	क्रेडिट रेटिंग एण्ड इनफॉरमेशन सर्विस ऑफ इण्डिया लि. (सीआरआईएसआईएल)
2	डीजे रिसर्च एण्ड कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लि., भुवनेश्वर
3	एजी फॉरग्यूशन एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
4	आर्थर एडरसन एण्ड सन, मुम्बई
5	प्राइस वाटर हाऊस कॉपर, नई दिल्ली
6	इनवेस्ट इंडियां इकोनॉमिक फांउडेसन प्राइवेट लि. ,नई दिल्ली
7	टाटा इकोनॉमिक कन्सल्टेन्सी सर्विस, मुम्बई
8	डेलोटी टच इंडिया प्राइवेट लि., चैन्नई
9	जीबी लोगीमार्ट कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लि., गुडगांव
10	जेपीएस असोसिएट्स प्राईवेट लि., नई दिल्ली
11	इनवेस्टमेंट इनफॉरमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लि. (आईसीआरए), नई दिल्ली

	नई सूचीबद्ध एजेंसियां
	(दिनांक 16.02.2010 को हुई संचालन समिति की बैठक में यथा अनुमोदित)
1	इंडियन कांउसिल फॉर मार्केट रिसर्च (आईसीएमआर) (ए डिविजन ऑफ प्लॉनमैन कन्सल्टिंग (इंडिया) प्रा.लि.)
2	इंडियन बिजनेस स्ट्रॉटेजि ग्रुप (आईबीएसजी), नई दिल्ली
3	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेकनोलॉजी (बीआईएमटीइसीएच), ग्रेटर नोएडा
4	ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, (एआईएमए), नई दिल्ली
5	ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोसल चेंज, पटना
	सचिव सूलमउ द्वारा दिनांक 25.08.2010 को सूचीबद्ध
6	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फौरेन ट्रेड, नई दिल्ली
7	एशिया-पैसफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नई दिल्ली

अनुबंध

1. सीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्ली
2. केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी
3. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान
4. केन्द्रीय सैलूलर और मौलीकूलर जैविकी, हैदराबाद
5. केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
6. केन्द्रीय इलैक्ट्रॉकैमिकल अनुसंधान संस्थान, कराईकुडी
7. केन्द्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी
8. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनवाद
9. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
10. केन्द्रीय ग्लॉस और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
11. केन्द्रीय औषधी और सुगंधित पौध संस्थान, लखनऊ
12. केन्द्रीय चर्म अनुसंधान, चैन्नई
13. केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर
14. सीएसआईआर गणित मॉडलिंग और कम्प्यूटर अनुकरण केंद्र, बैंगलुरू
15. केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद
16. केन्द्रीय सडक अनुसंधान, नई दिल्ली
17. केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन, चंडीगढ़
18. सीएसआईआर मद्रास कॉम्पलेक्स, चैन्नई
19. केन्द्रीय लवण और समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर
20. इंस्टीयूट ऑफ जैनोमिक्स और इनटीग्रेटिव बायलोजी, दिल्ली
21. हिमालय जैव अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर
22. भारतीय रसायन जैव संस्थान, कोलकाता
23. भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
24. भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून
25. भारतीय सूक्ष्म जैव तकनीकी संस्थान, चंडीगढ़
26. औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ
27. राष्ट्रीय एरोस्पेश प्रयोगशाला, बैंगलुरू
28. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, लखनऊ
29. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, बैंगलुरू
30. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
31. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे
32. सीएसआईआर यूनिट फॉर रिसर्च एंड डवलेपमेंट ऑफ इनफॉरमेशन प्रोडक्ट, पुणे
33. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर
34. राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

35. राष्ट्रीय समुद्रीकीय विज्ञान संस्थान, गोवा
36. राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
37. राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अध्ययन विकास संस्थान, नई दिल्ली
38. राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर
39. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
40. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल
41. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
42. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू
43. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहल
44. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरूवनंतपुरम